न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द अग्रवाल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 23/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मसराराम 2. प्रहलादराम 3. रेवाराम 4. पदमाराम पिसरान धुकाजी 5. मु.असुदेवी पत्नि धुकाजी जातियान पुरोहित निवासीयान डूंगरी तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. अभाराम 2. करताराम 3. कृष्णकुमार पिसरान टीकमाजी 4. बाबूराम 5. जुठाराम 6. कैलाश पिसरान अभाराम 7. छगना पुत्र तगाजी जातियान पुरोहित निवासीयान डूंगरी तहसील रानीवाडा 8. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

दावा बाबत बंटवाडा, कब्जा दिलाने खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 183, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीगण अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15.09.2021

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा डूंगरी तहसील रानीवाडा में वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की समलाती खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 720 रकबा 0.48 हेक्टेयर किस्म चाही प्रथम व जाव प्रथम आई हुई है। उपरोक्त आराजी में वादी संख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का है। तथा उपरोक्त आराजी का वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच विधिवत बंटवाडा नही हुआ है। व अपनी सुविधा अनुसार काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में उक्त आराजी की बाजारू किमत बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपरोक्त आराजी जो वादी संख्या 1 से 5 के कब्जे है उक्त किमती आराजी पर अपना स्थायी कब्जा करने की नियत पाले हुये है। वादी संख्या 1 से 5 ने आज से एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कहा कि उपरोक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है तथा हमें उक्त आराजी को विकसित करने व अन्य कृषि कार्यो में कठिनाई आ रही है, आप उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड अनुसार व कब्जे काश्त अनुसार आपसी सहमति से विधिवत बंटवाडा करवा लो तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति से वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा करने का मना कर दिया तथा वादी संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने एलनिया धमकी दी कि [illegible] हम आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाडा नहीं करवासेगे तथा [illegible] की कीमती भूमि पर हम कब्जा जमा लेगे एवं तुमने ज्यादा किया तो तुम्हें लाठी [illegible] बल पर उक्त तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर [illegible] बिना बंटवाडा [illegible] किसी अजनबी क्रेता को बैचान कर [illegible]। वादी संख्या [illegible] से 5 ने आज से करीब [illegible] दिन पूर्व दिनांक 2.06.12016 को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को उक्त आराजी का रजस्व रेकर्ड में विधिवत बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आपसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 16:08:16 IST
Reason: SelfAttested

सहमति से उक्त सामलाती आराजी का विधिवत बंटवाडा करवाने का मना कर दिया। इसलिये वादी संख्या 1 से 5 के पास प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के अवैध व गैर कानुनी कृत्यों को रोकने का उन्य कोई उपचर नहीं होने से तथा वादी उक्त आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर रास्ते के बिन्दु को मध्य नजर रखकर बंटवाडा करवाने के अधिकारी होने से वादी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व यह दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

2. मौजा डुगरी तहसील रानीवाडा में वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 7 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 563/1197 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म जाव प्रथम व चाही प्रथम की आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सणगारी बेवा तगा, मसराराम,प्रहलादराम,रेवाराम,पदमाराम पिसरान धुका असुदेवी पत्नि धुका छगना वल्द तगा कौम पुरोहित साकिन देह खातेदार दर्ज है। खातेदार सणगारी बेवा तगा की मृत्यु हो चुकी है। उनके कायम मुकाम वारीसान वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 7 है। सणगारी के दो पुत्र धुका व छगना है, जिसमें धुका की मृत्यु हो चुकी है जिसके कायम मुकाम वारीसान वादी संख्या 1 से 5 है तथा छगना जीवित है जो वादी संख्या 7 है। उक्त आराजी नवीन खसरा नबंर 563/1197 रकबा 0.34 हैक्टर वादी संख्या 1 से 5 प्रतिवादी संख्या 7 की खातेदारी की शामलाती आराजी है, जिसमें वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 7 के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है। वादी संख्या 1 से 5 का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा बतौर राजस्व रेकर्ड दर्ज है इसलिये खातेदारों को अपनी उक्त आराजी की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है तथा सुरक्षा के साथ वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 7 के बीच बंटवाडा करने का भी अधिकार है। उक्त आराजी नवीन खसरा नबंर 563/1197 रकबा 0.34 हैक्टर को वादी संख्या 1से 5 ने आज से करीब दो वर्ष पूर्व काश्त की सुविधा होने से प्रतिवादी संख्या 1से 6 को काश्त करने हेतु दी थी। जिसमें वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच यह बात तय हुई थी की उक्त आराजी में काश्त करने का खर्चा हमारा आधा होगा तथा उक्त आराजी में उत्पादन होगा उसमें भी हमारा आधा–आधा होगा तथा उक्त आराजी में उत्पादन होगा उसमें भी हमारा आधा–आधा हिस्सा होगा। आज से करीब एक माह पूर्व वादी संख्या 1 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कहा कि उक्त आराजी में अब हम खुद काश्त करेगे तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने कहा कि हम 15 दिन बाद उक्त आराजी में जो काश्त की हुई है उसको लेकर चले जायेगे, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 6 उनके कहे अनुसार 15 दिन बाद भी नही गये तो आज से 15 दिन पुर्व दिनांक 2.6.2016 को वादी संख्या 1से 5 ने पुनः प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को कहा कि उक्त आराजी में अब हम खुद काश्त करेगे तुम तुम्हारा काश्त का सामान लेकर चले जाओ तो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने कहा कि हमने तो आपको विश्वास में लेकर तुम्हारी उक्त आराजी पर अपना कब्जा जमा लिया है, अब हमउ क्त आराजी से हमारा कब्जा खाली नहीं करेगे, तुम्हारा जो हो सो कर लेना तथा तुमने ज्यादा किया तो हम तुम्हे झुठे मुकदमें में फंसा कर जेल की हवा खिलवा देगे। इसलिये वादी संख्या 1 से 5 को अपनी आराजी की सुरक्षा करने व अपनी आराजी का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह दावा बाबत् कब्जा दिलाने खातेदारी आराजी का व वादी संख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखकर बंटवाडा करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्व श्रीमानजी के समक्ष पेश है।

3. इस्तदुआ वादीगण है कि इस आशय की डिक्री बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावें कि:–यह कि सरहद मौजा डुगरी तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 720 रकबा 0.48 हैक्टर का वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच. बाई मिटस एवं बाउण्डस के [illegible] रास्ता के बिन्दु को मध्य नजर रखकर बंटवाडा कर वादी संख्या 1 से 5 [illegible] अलग–अलग बंट कर दिया जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अ[illegible]दरामद व लगाान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी फरमावें। मौजा डुगरी तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 563/1197 रकबा 0.34 हैक्टर वादी के बंट में आने वाली 1/2 हिस्सा की आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को बैदखल कर उक्त खातेदारी आराजी का कब्जा वादी संख्या 1 से 5 को दिलाया जावे तथा उक्त आराजी खसरा नबंर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:16 IST
Reason: SelfAttested

563/1197 रकबा 0.34 हैक्टर का वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 7 के बीच मिटस एण्ड बाउण्डस व रास्ते के बिन्दू को मध्य नजर रख कर बंटवाडा कर 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 से 5 को तथा 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 हिस्सा अलग–अलग बंट में दिया जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर फरमावे। तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे बाद बंटवाडा व बाद कब्जा सुपुर्दगी वादीगण को उनके कब्जे काश्त व बंट की खातेदारी आराजी में उनके कब्जे काश्त में उनके उपयोग व उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल पैदा करावें।

4. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। समस्त प्रतिवादीगण से सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया।

5. प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर से वादपत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए काउन्टर क्लेम पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा डूंगरी तहसील रानीवाडा के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 720 रकबा 0.48 हेक्टेयर व, 563/1197 रकबा 0.34 हेक्टेयर आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वजों का प्रथम पैमाईश से लगातार उनके जीवन काल तक तथा उनके वफात के पश्चात लगातार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का प्रतिकूल कब्जा कूल 73 वर्षो से निर्बाध रूप से वादीगण की सहमति एवं जानकारी से चला आ रहा है तथा कभी भी आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय में उक्त आराजी के विभाजन करने पर प्रतिवादी सख्या 1 से 3 को बेदखल करने हेतु जानकारी के 12 वर्षो के भीतर–भीतर किसी भी प्रकार का वाद पत्र वादीगणों संख्या 1 से 3 का प्रतिकूल कब्जा एवं स्वामित्व होना वादीगण के वाद पत्र के अभिवचनों में उक्त आराजीयान पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कब्जा काश्त होने के कथनों से स्वीकारोक्ति करने से प्रथम दृष्टया साबित करता हैं तथा कानूनी एवं न्यायित कार्यवाही के दौरान स्वंय द्वारा सशपथ की गई स्वीकारोपित संस्वीकृति करने की श्रेणी में आता है जो Admitted Facts need not to prove श्रेणी में आता है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को साबित करने की आवश्यकता ही नही है इसलिए उक्त आराजीयान का विभाजन नही किया जावे तथा खातेदारी हकों की घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम 73 वर्षों के प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी होने से काउन्टर क्लैम बाबत खातेदारी हकों की घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्व श्रीमानजी के विरूद्व पेश है।

6. काउन्टर क्लेम में अनुतोष चाहा कि मौजा डूंगरी के खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 720 रकबा 0.48 हेक्टेयर के 1/2 हिस्से की खातेदारी हकों की घोषणा लगातार 73 वर्षो से प्रतिकूल कब्जे के सिद्वान्त के आधार पर बहक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बरखिलाफ वादीगण संख्या 1 से 5 के हक जरिये काउन्टर क्लैम घोषित की जावें। तथा मौजा डूंगरी के खसरा नम्बर 563/1128 रकबा 0.34 हेक्टेयर की सम्पूर्ण आराजी की खातेदारी हको की घोषणा बहक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बरखिलाफ वादीगण संख्या 1 से 5 तंथा प्रतिवादी संख्या 7 जरिये काउन्टर क्लैम डिक्री पारित की जावें। तथा उक्त खातेदारी हकों की घोषणा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक में होने के पश्चात उक्त आराजी के शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त एवं भूमि के उपयोग उपभोग में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 7 स्वयं द्वारा तथा अन्य किसी अपरिचित क्रेताओं द्वारा लाठी के जोर पर बेदखल नही करे तथा कब्जा काश्त में दखंलदाजी नही करें किसी को कोई अवैध बैचान नही करें मौके पर रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के हक में हो सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 16:08:16 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से पेश जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम का जवाब उल जवाब वादीगण द्वारा दिया गया जिसमें जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 उक्त आराजी के केवल मात्र अतिक्रमी हैं जिन्होने गलत एंव मनगढंत तथ्यों के आधार पर काउन्टर क्लेम पेश किया हैं। वे इस काउन्टर क्लेम के जरिये किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। सो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का काउन्टर क्लेम काबिल खारीज है तथा वादीगण का वाद काबिल डिक्री है।

8. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब उल जवाब एवं प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया दिनांक 14.03.2018 को तनकीयात कायम की जाकर एक्सप्लेन की गयी।

9. वादीगण द्वारा वादी संख्या 1 मसराराम व वादी संख्या 2 प्रहलादराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराया गया। तथा वादपत्र के साथ मौजा डूगरी की विवादीत आराजी का नक्शा ट्रेस पेश किया जो प्रदर्श 1 है, मौजा डूंगरी के जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 363 की पेश की जो प्रदर्श 2 है तथा मौजा डुगरी के जमाबंदी संवत 2066–2069 खाता संख्या 8 पेश की जो प्रदर्श 3 है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिप्ररीक्षण किया गया। तथा प्रतिवादीगण की ओर से बाबुलाल पुत्र अभाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया। जिन पर अनेक अवसर देने पर भी प्रतिपरीक्षण नहीं करवाने पर तीन बार अंतिम अवसर देने के उपरांत प्रतिवादी शहादत बंद कि गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गए।

10. दोनों पक्षों की बहस सुनी व बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी संख्या 1

वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की मौजा डुगरी के खसरा नबंर 720 रकबा 0.48 हैक्टर सामलाती आराजी होने से वादी के पक्ष 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 सं 3 के पक्ष में 1/2 के हिस्से अनुसार रास्ते के बिन्दु को ध्यान में रखते हुऐ बंटवाडा करवाया जावें। इस संबंध वादीगण द्वारा दावे के साथ जमाबंदी संवत् 2066–2069 खाता संख्या 720 प्रदर्श–3 प्रस्तुत की जो एल.आर.सी. लाईसेन्सी द्वारा दिनांक 11.12.2015 को जारी की गई है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 –1/2 हिस्सा खोला हुआ नहीं है तथा बंटवाडा हेतु वादी द्वारा बंटवाडा प्रस्तावित का कोई एनेक्चर भी प्रस्तुत नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा वाद का जवाबदावा व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जिसमें प्रथम सेटलमेन्ट से प्रतिवादी पक्ष का कब्जा चला आ रहा है, इसलिए प्रतिकुल कब्जों के अनुसार वादीगण कोई हक नहीं है तथा न कब्जा काश्त है। वादी मसराराम व प्रहलादराम के साक्ष्य शपथ–पत्र की जिरह में प्रतिवादी के 70 वर्षो के कब्जे का गलत बताया तथा कब्जा लेने हेतु कोई अन्य न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं किया है अजखुद कहा कि कब्जा मेरा है, जमीन के विवाद का को लेकर झगडा टण्टा हुआ जिसका मुकदमा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। वादीगण ने प्रथम सेटलमेन्ट संबंधी खतौनी बन्दौबस्त एवं द्वितीय सेटलमेन्ट संबंधी खतौनी बन्दौबस्त तथा मिलान खसरा नंबर संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से सामलाती खातेदारी का हिस्सा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। वादी ने वाद भी बंटवाडा,कब्जा दिलाने व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष में हिस्से धोषित कराने हेतु खातेदारी की धोषणा का प्रस्तुत नहीं किया है। साथ मौके की स्थिति भी रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति वादी पक्ष द्वारा अपने पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 16:08:16 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य सबुत दस्तावेज से हक हिस्सा साबित कराने में सफल नहीं होने से यह तनकी वादी पक्ष के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

वादी के पक्ष में मौजा डुगरी के खसरा नबंर 563/1197 रकबा 0.34 हैक्टर का 1/2 हिस्सा की आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को बेदखल कर उक्त खातेदारी आराजी का कब्जा वादी संख्या 1 से 5 को दिला कर उक्त आराजी का वादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 7 के बीच मिट्स एण्ड बाउण्डस् व रास्ते के बिन्दु को मध्य नजर में रखते हुए बंटवाडा किया जाने की इस्तदुआ के संदर्भ वादी द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संख्या 2070 से 2073 खाता संख्या 363 खसरा नबंर 563/1197 रकबा 0.34 हैक्टर की आराजी में वादीगण 1 से 5 के नाम दर्ज है। तथा प्रतिवादी संख्या 7 छगना पुत्र तगाा के नाम दर्ज है। इसमें सणगारी बेवा तगा का नाम भी दर्ज है। सणगारी को वाद में पक्षकार नहीं बनाया और न ही जमाबंदी में से नाम हटाने संबंधी म्युटेशन उत्तराधिकारी के नाम भरने का उल्लेख है। उक्त आराजी वादी संख्या 1 से 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को काश्त करने हेतु दो वर्ष पूर्व थी। जिस पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का कब्जा है। उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का आधा–आधा हिस्सा है। इस संबंध वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श 2 का अध्ययन करने पर वादी पक्ष व प्रतिवादी पक्ष का हिस्सा जमाबंदी में उल्लेखित नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का खाते में नाम ही अंकित नहीं है। वादीगण ने वाद प्रस्तुत किया है, उसमें बंटवाडा वादीगण को कब्जा दिलाने व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी की धोषणा व हिस्सा स्पष्ट करने का धारा 88 आर. टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत ही नही किया है। जब तक खातेदारी आराजी सामलाती साबित नहीं होती है तब तक इस्तदुआ अनुसार बंटवाडा नहीं किया जा सकता तथा न प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को बेदखल किया जा सकता। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर जवाबदावा व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रतिवादीगण का प्रथम सेटलमेन्ट के कब्जा काश्त है, गलती से खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज हुई है। इसलिए वादीगण का इस पर कोई अधिकार नहीं है। प्रतिकुल कब्जे के आधार पर हमारे नाम की खातेदारी धोषित करने की मांग की गयी। वादीया वादीगण ने बंटवाडा प्रस्ताव का Annexure भी वाद के साथ पेश नहीं किया तथा प्रथम सेटलमेन्ट की खतौनी व द्वितीय सेटलमेन्ट की खतौनी बन्दौबस्त एवं खसरा मिलान क्षैत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया। जिसके अभाव में वादीगण की इस्तदुआ की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है। जब तक सामलाती खातेदारी आराजी स्पष्ट तौर से जमाबंदी में दर्ज नहीं तक बंटवाडा प्रस्ताव भुमिधारी से मंगवाया संभव नहीं हो सकता। ग्राम डुगरी की जमाबंदी भी पृथक–पृथक वर्ष की प्रदर्श–2 व 3 प्रस्तुत की गई है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण की सामलाती आराजी व हिस्सा जमाबंदीया में अंकित नहीं होने तथा साक्ष्य सबुत, दस्तावेज से साबित नही करा पाने से यह तनकी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–3

यह तनकी ,तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन के अनुसार वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–4

प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में खसरा संख्या 720 रकबा 0.34 हैक्टर गलती से वादीगण के नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ परन्तु प्रतिवादीगण का प्रथम सेटलमेन्ट से उक्त आराजी पर कब्जा होने से प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम खातेदारी की धोषणा की जाये। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा न तो साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये परन्तु उनको प्रतिपरीक्षण पर्याप्त अवसर देने पर भी नहीं कराने से प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गयी। प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने तथा न ही कोई मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौके की रिपोर्ट नहीं मंगाने से बिना दस्तावेजी साक्ष्य के 70 वर्ष पुराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 16:08:16 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा प्रतिवादीगण साबित मानने योग्य नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–5

यह तनकी ,तनकी संख्या 2 व 4 के विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–6

यह तनकी भी तनकी संख्या 4 के विवेचनानुसार प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–7

यह तनकी भी तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित होने से इनके विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–8

यह तनकी, तनकी संख्या 1, 2, 4, व 9 के विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–9

प्रतिवादीगण के जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में वादीगण का कब्जा नहीं होने के कथनों को प्रतिवादीगण साबित नहीं करा सके तथा प्रतिवादीगण का प्रतिकुल कब्जा रहने के कथन को दस्तावेजी साक्ष्य सबुत से प्रमाणित नहीं करा पाने से यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

11. उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन व विश्लेषण करने पर वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारीज योग्य है।

–: आदेश :–

12. उपर्युक्त तनकीवार विवेचन व विश्लेषण के अनुसार वादीगण अपने वाद पत्र के तथ्यों को साबित कराने में असफल रहने से वादीगण द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद दिनांक 28.06.2016 को खारीज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम भी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में प्रतिकूल कब्जे को साबित कराने में असफल रहने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज के साथ संबंधित धारा में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
रानीवाडा (राज0)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मसरराम 2. प्रहलादराम 3. रेवाराम 4. पदमाराम पिसरान धुकाजी 5. मु.असुदेवी पत्नि धुकाजी जातियान पुरोहित निवासीयान डूंगरी तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. अभाराम 2. करताराम 3. कृष्णकुमार पिसरान टीकमाजी 4. बाबूराम 5. जुठाराम 6. कैलाश पिसरान अभाराम 7. छगना पुत्र तगाजी जातियान पुरोहित निवासीयान डूंगरी तहसील रानीवाडा 8. भूमिधारी तहसीलदारजी रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 183,53,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 23/2016

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी सं0 8 राजपेरोकार उपस्थित , प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से वकिल श्री पूखराज विश्नोई मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण अपने वाद पत्र के तथ्यों को साबित कराने में असफल रहने से वादीगण द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत वाद दिनांक 28.06.2016 को खारीज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम भी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में प्रतिकूल कब्जे को साबित कराने में असफल रहने से प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता है। वादीगण आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज के साथ संबंधित धारा में वाद लाने हेतु स्वतंत्र है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जाता है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15.09.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीष्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	4	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.10.28 15:08:16 IST
Reason: SelfAttested